

पत्रांक 1253/आर0ओ0सिगनल  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 22/7/2017

विषय:- निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2017-18 के प्रकाशन के संबंध में।

.....

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2017-18 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाये। यह भी अनुरोध है कि भेजे गये निविदा सूचना को PRD के Website पर भी upload किया जाये।

अनुलग्नक:- यथोपरि ।

विश्वासभाजन,




(कृष्ण मुरारी सिन्हा),

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),

बिहार,पटना ।

प्रतिलिपि:- 1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया इसे आज ही वेबसाईट पर अपलोड किया जाये।



पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),

बिहार,पटना ।

राममोहन  
पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)  
बिहार, पटना

निविदा सूचना संख्या-01/2017-18


- (1) विभाग का नाम : पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
  - (2) विज्ञापनदाता का नाम : पुलिस अधीक्षक(वित्त) बिहार, पटना।  
बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेलीरोड,  
राजवंशी नगर, पटना।
  - (3) निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय : निविदा प्रकाशित की तिथि से किसी कार्य दिवस में  
दिनांक 24.08.2017 के 1500 बजे तक
  - (4) निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 24.08.2017 को 1600 बजे
  - (5) निविदा प्राप्ति का स्थान : पुलिस अधीक्षक(वित्त) बिहार, पटना का कार्यालय,  
बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय,  
टी0एक्स0 भवन राजवंशीनगर पटना-23
  - (6) अनुमानित राशि : ₹0 2500000/- (पच्चीस लाख ₹0) से नीचे।
  - (7) मद का नाम :- कार्यालय में उपयोग होने वाले बिजली के सामान ।
- उपरोक्त मदों की सूची निविदा प्रकाशित होने के बाद से निविदा की अंतिम तिथि से एक दिन पहले के कार्य दिवस तक में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा के नियम एवं शर्त

- (1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित ईकाईयों/आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत ईकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डिलर/बिक्रेता आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी। निविदाकर्ताओं को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना चाहिए। सभी सफल निविदाकर्ता को बिहार में जी0एस0टी0 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- (2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ज के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा  
(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्नवर्णित वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।  
(ख) वित्तीय बोली में तकनीकी की बोली में शामिल की गई ईकाईयों का ईकाईवार मूल्य दर्शाया जायेगा।
- (3) निविदा के तकनीकी बोली में निम्नलिखित अभिलेख अवश्य संलग्न होने चाहिए (i) आयकर के अद्यतन रिटर्न की छायाप्रति (ii) पैन नं0 की छायाप्रति (iii) निविदाकर्ता फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (पअ) निविदा में जिन-जिन सामानों की दर वित्तीय बोली में दिये जा रहे हैं उनके नाम निविदा के तकनीकी भाग में संलग्न करना आवश्यक है।
- (4) निविदा के वित्तीय भाग में, तकनीकी भाग में शामिल की गयी मद का ईकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित करना होगा:- (क) प्रस्तावित मद का मूल्य प्रति ईकाई (ख) देय जी0एस0टी0 कर (ग) प्रति ईकाई जी0एस0टी0 सहित नेट मूल्य अंको एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा। इसमें किसी प्रकार का ओभरराईटिंग या कटिंग मान्य नहीं होगा।
- (5) तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग-अलग लिफाफा में सीलबंद होने चाहिए एवं उनपर तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अंकित होना चाहिए। इन दोनों लिफाफों पर निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। परंतु इस बड़े लिफाफा पर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेगा। अगर फर्म का नाम बड़े लिफाफा पर अंकित करेगा तब उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा सीलबंद लिफाफा में उपरोक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
- (6) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सामानों की सूची में उल्लेखित " कम्पनी " के ही सामान स्वीकार्य होंगे अन्य "कम्पनी" का सामान स्वीकार्य नहीं होगा।
- (7) सूची वर्णित सामानों का वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दर एवं फर्म का निर्धारण किया जायेगा एवं जब-जब जिन सामानों की जितनी आवश्यकता होगी तब-तब उन सामानों को अनुमोदित दर पर अनुमोदित फर्म से क्रय किया जायेगा।

- (8) निविदाकर्ता का दर अनुमोदित होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आदेशित सामानों की आपूर्ति की बाध्यता होगी तथा वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं किया जायेगा।
- (9) मदों की आपूर्ति बिहार पुलिस रेडियो, टी0एक्स0भवन, बेली रोड, पटना में ली जायेगी। इसके लिये अलग से कोई मार्ग व्यय देय नहीं है और न ही अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान है।
- (10) विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई आपूर्ति मदों को स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी।
- (11) निविदाकर्ताओं के द्वारा अपने फर्म के अंकित पते पर यदि फर्म भौतिक सत्यापन में यदि उपलब्ध नहीं होगा तो निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

पुलिस अधीक्षक(वित्त), बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दे। विस्तृत जानकारी हेतु [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

  
पुलिस अधीक्षक(वित्त)

बिहार, पटना।

पुलिस अधीक्षक (वित्त)  
बिहार, पटना